

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

कैलाश बनाम बेशी (वैरा)

किस्म मुकदमा प्री-पश 111-128 नं० 81 सन 2020

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
5-6-20	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जांच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जायें। पत्रावली दिनांक 21-7-20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
21-7-20	उभय पक्ष उपस्थित नित्यीन अधिवक्ता राजकीय कार्य से बाहर है। अतः पत्रावली दिनांक 11-8-20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
11-8-20	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। 25-8-20 उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
25-8-20	उभय पक्ष उपस्थित नित्यीन अधिवक्ता राजकीय कार्य से बाहर है। अहकाम पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 15-9-20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
15-9-20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी गण के सम्मन बाद तामित होकर प्राप्त हुए जिनसे शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार माण्डल से मांका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गई, अप्रार्थीगण को कितनी भर्तवा आवापे फिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं। उनके बिकल एक तरफा	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियट्स जज

नाम्न व लॉक
अहकाम को
हुक्म की तारीख
में जारी हो

कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये
जाते हैं। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया गिराफ्त पत्रक से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फेशल
शुमार होकर मन्तर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख
जो इस
तारीख
में डर

राजस्थान -सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

सुनवाई संख्या - 8/20 प्रा.पत्र

1- श्री कल्याण चं श्री गोपी भील निवासी- मैकरगड़ा तहसील- माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री बेरी चं श्री मांगु भील निवासी- मैकरगड़ा तहसील- माण्डल [कोश]
(प्रमाणित प्रपत्र संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 15-09-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मैकरगड़ा पटवार हल्का जोरावरपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 21, 22 कुल किता 02 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15-06-20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मैकरगड़ा पटवार हल्का जोरावरपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 21, 22 कुल किता 02 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक ला.मो. 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

8

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

8

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा